विलोपित

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / निगरानी— 2685/2018/सिंगरौली/भू.रा.

श्री S.P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 2-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
प्रति 42 से 10
क्र. 01
दिनांक 1/5/18
हस्ताक्षर व नाम

SPDhakad Adv.
2-5-18

रामसुन्दर पुत्र देवलाल बैसवार मृतक वारिसान –

1. दीनदयाल पुत्र रामसुन्दर बैसवार
2. रामनारायन
3. शिवनारायन } पुत्रगण स्व. देवीदयाल
4. ज्ञानदास

निवासीगण ग्राम करूआरी तहसील सिंगरौली जिला बैढ़न (सीधी) म.प्र.

—— *आवेदकगण*

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर बैढ़न

—— *अनावेदक*

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सिधी(सिंगरौली) के प्र.क. 48/स्व. निगगरानी/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1999 के विरुद्ध जानकारी दिनांक से निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क. 25/3 रकवा 5.00 एकड़ भूमि के संबंध मे आवेदक क. 1 व 2 के पिता स्व. रामसुन्दर पुत्र देवलाल बैसवार द्वारा निवासी ग्राम करूआरी तहसील

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2685/2018/सिंगरौली/भू.रा.

रामसुन्दर मृतक वारिसान–दीनदयाल आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री सतेन्द्र धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर बैढ़न जिला–सीधी(सिंगरौली) के प्र. क्र. 48/स्व.निगरानी/1998–99 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27–02–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा, के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019	